



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9857

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 297 सन् 2026

कुमारी ऋतु उर्फ ऋतु रानी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

अमित मिश्रा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसने वर्ष 2023 में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस सीधी भर्ती 2023 के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया था। याचिकाकर्ता को 25.02.2025 को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में उपस्थित होना था, लेकिन गर्भावस्था के कारण वह उस तिथि को उपस्थित नहीं हो सकी और उसने 04.03.2025 को किसी अन्य तिथि को निर्धारित करने के लिए आवेदन किया, हालांकि, उस आवेदन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि रिट याचिका में दिनांक 04.03.2025 का उल्लेख किया गया है, लेकिन वर्तमान रिट याचिका लंबे समय के अंतराल के बाद अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



09.01.2026 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता को इस न्यायालय में आने से किस बात ने रोका, और दूसरी तारीख प्राप्त करना उसका अधिकार विषय नहीं है।

4. उपरोक्त तथ्यों और स्थिति को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है और याचिकाकर्ता को इस संबंध में प्रत्यर्थागण से संपर्क करने का विकल्प दिया जाता है।

14 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)